



राजस्थान

सरकार

रजिस्ट्रेशन प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की

धारा 6 (1) के अन्तर्गत सर्वश्री

उमभीम शर्मा, चारमोह आद, अमली शर्मा - 3, हयसि, स्वदाम - मेवा, पीकश्वी - व्यासपुर
तथा

अमभीम शर्मा, चारमोह आद, अमली शर्मा - 3, हयसि, स्वदाम - मेवा, पीकश्वी - व्यासपुर

अन्य के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का रजिस्ट्रेशन पीकश्वी वी ठानी दुधपुरा

सहकारी समिति लि. पीकश्वी वी ठानी पंचायत समिति जैसलमेर

पोस्ट ग्राम हमीरा जिला जैसलमेर के नाम से स्वीकृत किया गया

तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 05-09-2013 को

क्रमांक 588/एम. पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ

जिनका वर्णन आवेदन पत्र में है और उक्त अधिनियम, उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और

समिति के उप नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

सहायक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित आज दिनांक 5-9-2013

को जारी किया गया।

M
सहायक रजिस्ट्रार

सहकारी समितियों, जैसलमेर